**दिनांक–21.02.2017 को प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण तथा अन्यान्य विषय पर सम्पन्न बैठक की कार्यवाहीः–**

उपस्थिति– संलग्न सूची के अनुसार।

प्रधान सचिव द्वारा राजस्व संग्रहण तथा अन्यान्य विषय पर दो चरणों में बैठक की समीक्षा की गई। प्रथम चरण में जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की गई।

**प्रथम चरणः–**

जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ राजस्व संग्रहण की जिलावार समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् हैः–

| क्रम सं0 | जिला का नाम | वार्षिक लक्ष्य | प्रधान सचिव द्वारा निर्धारित लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1. | अररिया | 120 करोड़ | 11.50 करोड़ |
| 2. | किशनगंज | 20.00 करोड़ | 20.00 करोड़ |
| 3. | बेगुसराय | 36.8 करोड़ | 35.00 करोड़ |
| 4. | कैमुर | 14.49 करोड़ | 16.00 करोड़ |
| 5. | नालन्दा | 11.81 करोड़ | 15.00 करोड़ |
| 6. | दरभंगा | 41.22 करोड़ | 41.22 करोड़ |
| 7. | भागलपुर | 34.19 करोड़ | 32.00 करोड़ |
| 8. | गोपालगंज | 28.24 करोड़ | 30.00 करोड़ |
| | चेक पोस्ट सहित | 56.06 करोड़ | 60.00 करोड़ |
| 9. | पूर्णियाँ | 52.22 करोड़ | 53.00 करोड़ |
| 10. | मुजफ्फरपुर | 113.02 करोड़ | 110.00 करोड़ |
| 11. | गया | 56.32 करोड़ | 60.00 करोड़ |
| 12. | पटना | 214.69 करोड़ | 220.00 करोड़ |

प्रधान सचिव द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को उनके द्वारा निर्धारित राजस्व संग्रहण का लक्ष्य पूरा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी)

2. राजस्व संग्रहण की समीक्षोपरान्त उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गयी। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा निम्न समस्याएँ/आवश्यकताएँ इंगित की गयीः–

I. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा कार्यालय के कार्यों के सुगम संचालन हेतु 5–7 कम्प्यूटर सिस्टम की मांग की गई ।

II. उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा अन्य दिनों के अलावा रविवार को भी उन्हें कानून–व्यवस्था एवं अन्य कार्यों में लगाया जाता है।

III. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा होम गार्ड के जवानों के बदले सैप (SAP) के जवानों की मांग की गई ताकि भय मुक्त होकर एवं रात्रि काल में भी राजस्व संग्रहण का कार्य कर सकें।

IV. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा सुझाव दिया गया कि ई0एस0आई0 सिपाही (Constable) की बहाली विभाग द्वारा किए जाने पर उक्त समस्या का समाधान हो जाएगा।

V. उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि जिला परिवहन कार्यालय में मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई है, किन्तु वे कार्यालय में नहीं बैठते हैं।

VI. जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि बिना ड्राईविंग लाईसेंस के ई–रिक्शा परिचालन की स्वीकृति देने पर ऑडिट आपत्ति की संभावना रहती है।

3. प्रधान सचिव द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को कम्प्यूटर सिस्टम तथा अन्य आवश्यक सामग्री क्रय करने का सुझाव दिया गया। साथ हीं यह आश्वासन भी दिया गया कि राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों से बात किया जायेगा कि वे जिला परिवहन पदाधिकारी को अन्य कार्यों में नहीं लगावें।

4. सैप (SAP) के जवानों की प्रतिनियुक्ति तथा विभाग द्वारा ई0एस0आई0 सिपाही (Constable) की नियुक्ति की संभावनाओं के संबंध में अलग से विचार करने की बात कही गई।

5. चूँकि जिला परिवहन पदाधिकारी जिलें में परिवहन विभाग के प्रतिनिधि होते है, अतएव उन्हें मोटरयान निरीक्षक तथा ई0एस0आई0 के साथ समन्वय बनाये रखने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में मोटरयान निरीक्षक के बैठने तथा समय–सारणी का रोस्टर के प्रकाशन का भी सुझाव दिया गया।

(अनुपालन– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

6. राज्य परिवहन आयुक्त का सुझाव था कि पत्र के माध्यम से मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक का नियंत्री पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, को बना दिया जाय।

7. स्मार्ट कार्ड की समीक्षा करते हुए निदेश दिया गया कि दिनांक–28.02.2017 तक सभी स्मार्ट कार्ड का प्रिंटिंग एवं वितरण सुनिश्चित की जाय। जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को 15 मार्च तक स्मार्ट कार्ड के संबंध में बैक लॉग एवं अपडेट की अद्यतन स्थिति की जानकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री वत्सराज को अवगत कराने का निदेश दिया गया। एक मार्च से नया स्मार्ट कार्ड निर्गत करने का निदेश दिया गया। फर्जी डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति के मामलें में निदेश दिया गया कि BKC नम्बर से बेल्ट्रॉन से उनकी सम्पुष्टि करा ली जाय।

(अनुपालन– जिला परिवहन पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री आजीव वत्सराज))

## द्वितीय चरण

प्रधान सचिव ने द्वितीय चरण में मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों के साथ राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। उन्होने निदेश दिया कि जो मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन

निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक पूरी वर्दी में नहीं हैं वे बैठक में भाग नहीं लेंगे। वर्दी नहीं पहनने वाले मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक से स्पष्टीकरण पूछने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन– स्थापना शाखा 5 एवं 7, परिवहन विभाग)

1 मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक के साथ राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई जो निम्नवत् है:–

| क्रम सं0 | मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक का नाम | वार्षिक लक्ष्य | प्रधान सचिव द्वारा निर्धारित लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री हरिशंकर कुमार | 3.61 करोड़ | 1.50 करोड़ |
| 2. | श्री अनिल कुमार सिंह | 3.76 करोड़ | 1.00 करोड़ |
| 3. | श्री संजय (वर्दी में नहीं रहने के कारण बैठक से बाहर) | – | 1.50 करोड़ |
| 4. | ई0एस0आई0, श्री पवन कुमार, (गया) | 3.30 करोड़ | 3.50 करोड़ |
| 5. | ई0एस0आई0, श्री मरियम मृत्युंजय, (गया) | 3.27 करोड़ | 3.28 करोड़ |
| 6. | ई0एस0आई0, श्री अमित कुमार मिश्रा(गया) | 1.50 करोड | 3.50 करोड़ |
| 7. | ई0एस0आई0, श्री अरूण कुमार, (गया) | 3.38 करोड़ | 3.50 करोड |
| 8. | ई0एस0आई0, श्री हेमन्त प्रसाद, (गया) | 3.48 करोड | 3.48 करोड |
| 9. | ई0एस0आई0, श्री बसंत प्रसाद, (गया) | 3.82 करोड | 4.00 करोड |
| 10. | ई0एस0आई0, श्री दिनेश पासवान, (गया) | 4.48 करोड | 2.00 करोड |
| 11. | ई0एस0आई0 श्री सन्दीप कुमार, (गया) | – | 3.23 करोड़ |
| 12. | ई0एस0आई0, श्री श्याम नन्दन प्रसाद, (पूर्णियाँ) | 8.79 करोड | 100% |
| 13. | मोटरयान निरीक्षक, पार्थ सारथी, (पूर्णियाँ) | 3.59 करोड़ | 100% |
| 14.. | मोटरयान निरीक्षक, श्री अनील कुमार, (पूर्णियाँ) | 13.98 करोड | 15.00 करोड |
| 15. | ई0एस0आई0, श्री चैतन्य नवीनम, (पूर्णियाँ) | 3.54 करोड | 100% |
| 16. | चनपटटी चेक पोस्ट, (गोपालगंज) | – | 100% |
| 17. | मोटरयान निरीक्षक, श्री सरोज भारती, (गेपालगंज) | 3.33 करोड | 100% |
| 18. | श्री शैलेन्द्र कुमार, (भागलपुर) | 3.96 करोड | 4.00 करोड |
| 19. | श्री कुन्दन कुमार, (भागलपुर) | 3.96 करोड | 4.00 करोड |
| 20. | श्री अमित कुमार दुबे, (दरभंगा) | 4.17 करोड़ | 1.50 करोड |
| 21. | श्री आजाद, (नवादा) | 2.48 करोड़ | 1.50 करोड़ |
| 22. | श्री राकेश कुमार, (नवादा) | 2.66 करोड | 100% |
| 23. | श्री प्रवेशचन्द्र झा, (रोहतास) | 5.80 करोड | 100% |
| 24. | श्री मनोज कुमार राजन, (रोहतास) | 5.76 करोड़ | 100% |

प्रधान सचिव द्वारा सभी मोटरयान निरीक्षकों/प्रवर्तन तंत्र के पदाधिकारियों को शत–प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य पूरा करने का निदेश दिया गया।

2. राजस्व संग्रहण के समीक्षोपरान्त मोटरयान निरीक्षकों/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई। उपस्थित प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक ने निम्न समस्याओं से प्रधान सचिव को अवगत् कराया।

(क) बैठने की व्यवस्था का न होना.

(ख) परिचय पत्र निर्गत न होना,

(ग) समय पर वेतन का नहीं मिलना,

(घ) वाहन–ईधन मद में राशि भुगतान न होना,

(ड.) सेवा सम्पुष्ट न होना।

उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारियों, को प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक के बैठने हेतु जगह की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। कार्यालय में जगह की कमी होने पर मोटरयान निरीक्षक के कमरे में प्लाई बोर्ड का पार्टिशन बनवा कर बैठने की व्यवस्था किये जाने का निदेश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, को मोटरयान निरीक्षकों तथा प्रवर्तन तंत्र के पदाधिकारियों का परिचय पत्र भी बनवाने का निदेश दिया गया। सेवा सम्पुष्टि के संबंध में राजस्व पर्षद को मोटरयान निरीक्षकों/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक की परीक्षा लेने हेतु पत्र लिखने का निदेश स्थापना प्रशाखा को दिया गया।

नियमित रूप से वेतन दिये जाने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, को आवंटन दिये जाने के संबंध में बजट शाखा को निदेश दिया गया।

(अनुपालन– जिला परिवहन पदाधिकारी/स्थापना शाखा 5/बजट शाखा, परिवहन विभाग)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/–

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 1210 पटना, दिनांक–10/3/2017

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।